भारत निर्वाचन आयोग

अभिस्वीकृति संख्या...................
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

प्ररूप 6

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 का नियम 13(1) और 26 देखिए]

पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन-क्षेत्र से किसी अन्य एक निर्वाचन-क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,

................................सभा निर्वाचन-क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।

मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे नाम को पूर्वोक्त सभी क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए । (समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं) **पहली बार के मतदाता के रूप में** ☐ **या अन्य सभा क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण** ☐ निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 सें.मी. X 3.5 सें.मी.) चिपकाने के लिए स्थान

<u>आज्ञापक विशिष्टियां</u>

(क) नाम	
(ख) उपनाम(यदि कोई हो)	
(ग) आवेदक के नातेदार का नाम और उपनाम [देखें मद (घ)]	
(घ) नातेदारी की किस्म (समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं)	पिता ☐ माता ☐ पति ☐ पत्नी ☐ अन्य ☐
(ङ) आयु [चालू कलैंडर वर्ष की 1 जनवरी को...................]	वर्ष ☐☐ मास ☐☐
(च) जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष के प्ररूप में) (यदि ज्ञात हो)	☐☐/☐☐/☐☐☐☐
(छ) आवेदक का लिंग (समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)	पुरूष ☐ स्त्री ☐ तृतीय लिंग ☐
(ज) वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह सं.

गली/क्षेत्र/स्थान				
शहर/ग्राम				
डाकघर			पिन कोड	☐☐☐☐☐☐
जिला		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र		
(i) आवेदक का स्थायी पता	गृह सं.			
गली/क्षेत्र/स्थान				
शहर/ग्राम				
डाकघर			पिन कोड	☐☐☐☐☐☐
जिला		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र		
(ञ) ईपीआईसी सं. (यदि जारी किया गया है)				
वैकल्पिक विशिष्टियां				
(ट) नि:शक्तता (यदि कोई हो) (समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं)	दृश्य दुर्बलता ☐ वाक् एवं सुनने की नि:शक्तता ☐ गति विषयक नि:शक्तता ☐ अन्य			
(ठ) ई-मेल (वैकल्पिक)				
(ड) मोबाइल सं. (वैकल्पिक)	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			

घोषणा :

मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :

(i) मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का ग्राम/शहर .... जिला .... राज्य........... है ।

(ii) मैं--------------से (तारीख, मास, वर्ष) ऊपर (ज) में दिए गए पते वाले स्थान में .... से मामूली तौर से निवासी हूँ;

(iii) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है;

*(iv) इस या किसी अन्य सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है

या

*मेरा नाम--------राज्य के--------- निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं अनुरोध करता हूं कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए ।

*जो उचित न हो उस विकल्प को काट दें ।

मामूली रूप से निवास का पूर्व पता (यदि अन्य निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण आवेदन कर रहे हों)			
गृह सं.		गली/क्षेत्र/स्थान	
शहर/ग्राम			
डाकघर		पिन कोड	☐☐☐☐☐☐
जिला		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	

मैं इस बात से भिज्ञ हूं कि ऐसा कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है, जिसके प्रति मैं यह जानता हूं या विश्वास करता हूं कि वह मिथ्या है या उसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

स्थान...

तारीख... आवेदक के हस्ताक्षर ....

क्षेत्र स्तरीय सत्यापन आफिसर की टिप्पणियां :

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... के निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मलित करने के प्ररूप 6 में आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार किया गया है । स्वीकार करने के [नियम 18/20/26(4 के अधीन या अनुसरण में)] या नियम 17/20/26(4) के अधीन अस्वीकार] विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं :

स्थान:

तारीख : ईआरओ के हस्ताक्षर ईआरओ की मुहर

लिए गए विनिश्चय की संसूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और आवेदक द्वारा दिए गए पते पर आवेदक को डाक से भेजा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी ....का प्ररूप 6 में आवेदन

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा परेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए जाने हैं

वर्तमान पता, जिस पर आवेदक मामूली रूप से निवास करता है		गृह सं.	
गली/क्षेत्र/स्थान			
शहर/ग्राम			
डाकघर		पिन कोड	☐☐☐☐☐☐
जिला		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	

को (क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को...

सभा निर्वाचन क्षेत्र .... के भाग सं............................ के क्रम सं..रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ।

(ख) .... के कारण से अस्वीकार कर दिया गया है ।

तारीख:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
पता..

<u>अभिस्वीकृति/रसीद</u>

अभिस्वीकृति सं. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

तारीख _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

श्री/श्रीमती/सुश्री ____________________ ____ का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ है

[आवेदक आवेदन की स्थिति की अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट करते हुए जांच कर सकता है] ।

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

प्ररूप-6 के साथ लगेगा

<u>आवेदन प्ररूप-6 भरने के लिए दिशा-निर्देश</u>

<u>प्ररूप-6</u>

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें वे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का इस प्रयोजनार्थ दिए गए खाली स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. पहली बार के मतदाता के रूप में या दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र से स्थानांतरित होने की वजह से आवेदन करने वाले आवेदक को उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगाना चाहिए और ***घोषणा वाले भाग में पूर्ण विवरण भरना चाहिए अन्यथा, आवेदन प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकृत किया जा सकता है।***
3. मद (क) से (ञ) में विवरण दिए जाने वाले खाने अनिवार्य हैं और इसलिए, उपयुक्त मद के प्रति पूर्ण सूचना अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
4. मद (क) और (ख) : ठीक-ठीक नाम और वर्तनी, जो निर्वाचक नामावली और निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) में प्रकट होनी चाहिए, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पूरा नाम पहले बॉक्स में लिखा जाना चाहिए और उपनाम दूसरे बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। यदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो उपनाम के बॉक्स को खाली छोड़ देना चाहिए। जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए सिवाय ऐसे मामले के जिसमें जाति के नाम का निर्वाचक के नाम या उपनाम के भाग के रूप में उल्लेख किया गया हो। पदवियों जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक अपने नाम का यदि संभव हो तो, अंग्रेजी और राज्य की राजभाषा दोनों में उल्लेख कर सकते हैं।
5. **मद (ग) और (घ) (नातेदार का नाम):** अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाना है। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम का अधिमानत: उल्लेख किया जाना चाहिए। इस स्तंभ से अप्रयोज्य विकल्पों को काट दें।
6. **मद (ड.) और (च) (आयु एवं जन्मतिथि):** जिस वर्ष के संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसकी जनवरी की पहली तारीख को आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। जन्म तिथि को दिए गए स्थान में **दिनांक/महीना/वर्ष** के रूप में अंकों में भरें। यदि आवेदक की आयु 18 और 21 वर्ष के बीच है तो जन्मतिथि का एक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न की जा सकती है:- नगर

पालिका प्राधिकारियों या जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र या बपतिस्मा प्रमाण-पत्र; या आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए पिछले विद्यालय (सरकारी/मान्यता-प्राप्त) से या कोई अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र; या यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 या उससे ऊपर की कक्षा उतीर्ण है तो उसे कक्षा 10 के अंक पत्र की एक प्रति देनी चाहिए बशर्ते उसमें जन्म तिथि के प्रमाणस्वरूप जन्मतिथि दी गई हो; या कक्षा 8 का अंकपत्र बशर्ते उसमें जन्मतिथि दी गई हो; या कक्षा 5 का अंकपत्र बशर्ते उसमें जन्मतिथि दी गई हो; या भारतीय पासपोर्ट; या पैन कार्ड; या ड्राइविंग लाइसेंस; या यूआईडीएआई द्वारा निर्गत आधार पत्र/कार्ड।

1. यदि उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो अनुबंध ।। (दिशा निर्देशों के साथ संलग्न) में दिए गए विहित फार्मेट में या तो आवेदक के माता-पिता के द्वारा (या थर्ड जेंडर श्रेणी में निर्वाचक की दशा में गुरु के द्वारा) एक घोषणा दी जा सकती है। जिन मामलों में आयु के प्रमाण स्वरूप माता-पिता की घोषणा दी जाती है उनमें आवेदक को सत्यापन के लिए अपने आपको बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। इसके अलावा, यदि उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो और माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं हों तो आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा या संबंधित नगर निगम/नगरपालिका समिति के सदस्य द्वारा दिया गया अपनी आयु का प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं।

2. ऐसे मामलों में जिनमें आवेदक 21 वर्ष से अधिक आयु का हो और बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उतनी आयु का प्रतीत होता हो तो उसके द्वारा आयु की घोषणा आयु के प्रमाणस्वरूप ली जाएगी और कोई भी दस्तावेजी सबूत पर जोर नहीं डाला जाएगा। आयु अर्हक तिथि यानि उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख की स्थिति के अनुसार वर्षों और पूरे हो चुके महीनों में इंगित की जानी चाहिए जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है/या किया गया है।

3. *यदि आवेदक नए पंजीकरण के लिए पहली बार आवेदन कर रहा है और वह वर्ष की अर्हक तिथि को 21 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका नाम भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो* ***अनुबंध ।।।*** *के अनुसार फार्मेट में एक घोषणा दी जानी है अन्यथा, उसका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।*

7. **मद (छ) (लिंग):** 'पुरुष'/'महिला'/'थर्ड जेंडर' के लिए दिए गए उपयुक्त बॉक्स में लिंग पर सही का निशान सुस्पष्ट रूप में लगाया जाना चाहिए।

8. **मद (ज) (वर्तमान साधारण निवास का स्थान):** *आवेदक को, वे वर्तमान में जहां साधारण रूप से निवास कर रहे हैं और जिसे पंजीकृत करवाना चाहते हैं उसका पिन कोड सहित पूर्ण डाक पता, केवल प्रविष्टि विशेष के लिए दिए गए उपयुक्त स्थान में भरना चाहिए।*

(I) ***मकान नं.: यदि आवेदक के निवास में मकान नंबर नहीं हो तो 'मकान नंबर' के निमित्त दिए गए स्थान में इस बात का सुस्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए कि 'कोई भी मकान नंबर निर्दिष्ट नहीं किया गया है'।***

(II) साधारण निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न की जानी चाहिए :-

बैंक/किसान/डाकघर का चालू पासबुक; या राशन कार्ड; या पासपोर्ट; या ड्राइविंग लाइसेंस; या आयकर निर्धारण आदेश; या नवीनतम किराया करार; या उस पते के लिए या तो आवेदक के नाम में या उसके निकटतम नातेदार जैसे माता-पिता आदि के नाम में पानी/टेलीफोन/ बिजली/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल; या आवेदक के नाम में साधारण निवास के पते पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से डेलीवर की गई कोई डाक/पत्र/मेल।

(III) ***बेघर भारतीय नागरिक/यौन कर्मी भारतीय नागरिक :-*** *शेड/फुटपाथ पर रहने वाले बेघर भारतीय नागरिक और यौन कर्मी भारतीय नागरिक जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए पात्र हैं बशर्ते वे दिए गए पते पर साधारण रूप से निवास कर रहे हों।*

(IV) ***विद्यार्थी:-*** *होस्टल या मेस या लॉज में कमोबेश लगातार रहने वाले, अपने सामान्य घर या निवास के स्थान में केवल अल्प अवधियों के लिए जाने वाले विद्यार्थी, यदि वे अन्यथा पात्र हों, ऐसे स्थान के साधारण रूप में निवासी होने के रूप में अभिनिर्धारित किए जा सकते हैं जहां होस्टल या मेस अवस्थित है। ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने आपको होस्टल/मेस में पंजीकृत करवाना चाहते हैं प्ररूप 6 के साथ प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/निदेशक/रजिस्ट्रार/शैक्षणिक संस्थाओं के डीन द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित यथार्थ घोषणा (**अनुबंध IV** के रूप दिए गए नमूने के अनुसार) संलग्न करनी होगी।*

9. **फोटोग्रॉफ:** विनिर्देशन (3.5 सेमी x 3.5 सेमी के साथ 200 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन) का हाल का पासपोर्ट साइज कलर फोटो प्ररूप में इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में चिपकाया जाना चाहिए। फोटो का निर्वाचक नामावली में आवेदक की छवि को मुद्रित करने और एपिक जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फोटो में आवेदक के सिर और कंधों के ऊपरी भाग का क्लोज-अप दर्शाया जाएगा। चेहरा चित्र के ऊर्ध्वाधर आयाम के 75% को लेगा। फोटो शार्प फोकस में होना चाहिए, समुचित चमक एवं वैषम्य के साथ सिकुड़न एवं स्याही के निशान से मुक्त उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए और निर्वाचक के चेहरे की प्राकृतिक त्वचीय रंगत दिखनी चाहिए और विशिष्टताएं सुस्पष्ट रूप में पहचाने जाने योग्य होनी चाहिए। यह सहज अभिव्यक्ति एवं बंद मुख के साथ निर्वाचक को सीधे कैमरा देखते

दिखाएगी। फोटोग्रॉफ निर्वाचक को खुली आंखों में और आंखों को ढंकने वाले किसी भी केश/टोपी/टोप/पगड़ी/आवरण/छाया/प्रतिबिंब आदि के बगैर दिखाएगा। यदि निर्वाचक चश्मा पहनता है तो फोटोग्रॉफ को आंखें चश्मों में प्रतिबिंबित कोई भी रोशनी के बगैर सुस्पष्ट रूप में दर्शानी चाहिए। चश्मों में रंजित लेंस नहीं होने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चश्मों के फ्रेम निर्वाचक की आंखों के किसी भी हिस्से को नहीं कवर करें। फोटोग्रॉफ की समतल, हल्के रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए और निर्वाचक के साथ और कोई व्यक्ति या वस्तु-दृश्यमान नही होनी चाहिए।

10. **एपिक:**

1. जब कभी भी किसी भी भारतीय नागरिक का नाम निर्वाचक नामावलियों में पहली बार शामिल किया जाता है, नया एपिक बिना किसी पृथक आवेदन के स्वमेव जारी कर दिया जाएगा और उसे उचित पावती के अधीन स्पीड पोस्ट के माध्यम से नि:शुल्क डेलीवर कर दिया जाएगा।

*2. **स्थान परिवर्तित होने पर प्रतिस्थापन एपिक:** यदि आवेदक ने अपना पता परिवर्तित कर लिया है और ऐसे परिवर्तन पर प्ररूप 6 या प्ररूप 8क में आवेदन कर रहा है तो एपिक नं., यदि उसे पूर्ववर्ती निर्वाचन-क्षेत्र/पते पर पहले ही जारी किया गया है, का उपयुक्त स्थान पर उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि वह प्रतिस्थापन एपिक नए पते पर चाहता है तो उसे उसके लिए प्ररूप **6** या प्ररूप **8क** के आधार पर नए स्थान पर पंजीकरण के बाद प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क, एवं पुराने एपिक के साथ, प्ररूप एपिक-001 (**अनुबंध V** के में रूप दिए गए फार्मेट के अनुसार) में आवेदन करना चाहिए।*

11. **वैकल्पिक विवरण**

मद (ट) और (ड) में विवरण दिए जाने वाले खाने वैकल्पिक हैं; हालांकि, यह आवेदक के हित में है कि वह इन मदों में सूचना उपलब्ध कराए ताकि निर्वाचन प्राधिकारीगण नागरिक सेवाएं जैसे आवेदन प्ररूप, निर्वाचकों को एपिक भेजे जाने वाली सूचना/नोटिसों को जारी करने और निर्वाचनों के दौरान मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सहायता प्रदान करने, में सक्षम हो सकें।

12. **घोषणा**

(1) "घोषणा" भाग में सभी प्रविष्टियां सभी दृष्टियों से अनिवार्य रूप से पूरी की जानी चाहिए। कृपया वह तारीख निर्दिष्ट करें जब से आवेदक वर्तमान में दिए गए पते पर निवास कर रहा है। यदि उसे तारीख याद न हो तो उस महीने एवं वर्ष का उल्लेख किया जाना चाहिए जब से वह उस स्थान पर निवास कर रहे हैं। यदि उसका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से शामिल है तो उस पूर्ववर्ती निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। उसके पिछले पते का पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए अन्यथा, उसका आवेदन प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकृत किया जा सकता है। वे विकल्प जो सुसंगत नहीं हैं साफ-साफ रूप में काट दिए जाने चाहिए। कृपया नोट करें कि घोषणा अंश में कोई भी गलत कथन देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है।

(2) सेवा कार्मिक को, जो शांति स्थल (पीस स्टेशन) में तैनाती के अपने स्थान पर निर्वाचक नामावली में सामान्य निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे प्ररूप-6 के साथ एक घोषणा (अनुबंध-। में) प्रस्तुत करनी है।

****

<u>अनुबंध-I (प्ररूप-6 के लिए)</u>

सेवा कार्मिक द्वारा घोषणा

(प्ररूप-6 के साथ संलग्न किए जाने के लिए)

अपनी तैनाती के स्थान की निर्वाचक नामावली के भाग में साधारण निर्वाचक के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए मैं, ... (बड़े अक्षरों में नाम) रिकार्ड कार्यालय/कमांडेंट द्वारा इस आशय का जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ कि मैं ....(तारीख) से शांति स्थल (पीस स्टेशन), नामत:..में तैनात हुआ/हुई हूँ।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में अपने आपको न तो पहले से पंजीकृत करवाया हुआ है और न ही किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली के अंतिम भाग में सेवा निर्वाचक के रूप में इस प्रकार के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उस विधि से अवगत हूँ जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में या भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करवाने को निषिद्ध करता है और यदि मेरा नाम भिन्न-भिन्न स्थानों पर इस तरह प्रकट होता है तो उन्हें वर्तमान स्थान, जिसके लिए प्ररूप 6 प्रस्तुत किया गया है, के सिवाय ऐसे सभी स्थानों से विलोपित कर दिया जाए।

सेवा कार्मिक के हस्ताक्षर

रैंक............................

स्थान : ....

तारीख : ....

<u>अनुबंध-।। (प्ररूप-6 के लिए)</u>

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(18-21 वर्ष के आयु समूह में पहली बार के आवेदक,
जिसके पास आयु का प्रमाण नहीं है, के माता/पिता/गुरु द्वारा
लिया जाए/किया जाए।

मैं,...जिसका नाम .... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाग संख्या .... में क्रम संख्या .... में पंजीकृत है, ईश्वर के नाम से शपथ लेता/लेती हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा शिष्य दिनांक .... 01 जनवरी, 20.... की स्थिति के अनुसार --- वर्ष का/की है और मेरे साथ रह रहा/रही है।

स्थान :

तारीख :

माता/पिता/गुरु के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती .... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 20.... के ....दिवस को .... (बजे) .... (स्थान) पर ईश्वर के नाम से शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

<u>अनुबंध - III</u>

(प्ररूप-6 के लिए)

घोषणा*

(पहली बार नया पंजीकरण चाहने वाले 21+ आयु-समूह के निर्वाचक के लिए)

मैं, ..., पुत्र/पुत्री/पत्नी ....निवासी .... निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

मैंने...............................निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है क्योंकि मेरा नाम भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है।

2. मुझे विगत में किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में किसी भी समय कोई भी निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी नहीं किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

***(निर्वाचक नामावली को तैयार/पुनरीक्षित करने से संबंधित मामलों में मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 तथा भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन एक दण्डनीय अपराध है)**

अनुबंध IV (प्ररूप-6 के लिए)

छात्रावासों/मेस/अन्यत्र रह रहे छात्रों द्वारा घोषणा
(प्ररूप 6 के साथ संलग्न किया जाए)

इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए हाल का पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो (3.5 सें.मी. X 3.5 सें.मी.) चिपकाने के लिए स्थान

मैं, ... (बड़े अक्षरों में नाम) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती,.................................... (पैतृक स्थान का पता), ... एतद्‌द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :----

(क) मैं .... (संस्थान का नाम) का वास्तविक छात्र हूँ और .... (पाठयक्रम का नाम) में (वर्ष) .... (माह) .... से .... (वर्ष) .... (माह) तक .... की पढ़ाई कर रहा हूँ।

*(ख) मैं वर्तमान में -

i) .... (यदि छात्रावास/मेस में रह रहे हैं तो छात्रावास/मेस का कमरा संख्या/ब्लॉक संख्या/ब्लॉक नाम, आदि का उल्लेख करें।

या

*(ii) ....(यदि छात्रावास/मेस के बाहर अन्यत्र रह रहे हैं तो छात्रावास/मेस के बाहर निवास स्थान का पूरा डाक पता लिखें) पर रह रहा हूँ।

(ग) *मैं अपने माता-पिता/अभिभावक के साथ अपने उपर्युक्त निवास पते पर अपने पैतृक स्थान की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहता हूँ/अपने पंजीकरण को बनाए रखना चाहता हूँ।

या

*मैं वर्तमान निवास के निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहता हूँ।

(II) मैं इस बात से अवगत हूँ कि निर्वाचन विधि के अधीन एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में या किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकरण करवाने की अनुमति नहीं है और मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दांडिक उपबंधों से भी अवगत हूँ जो इस प्रकार है :-

"यदि कोई व्यक्ति (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्‌धि के, अथवा (ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।"

स्थान:

तारीख : **(छात्र के हस्ताक्षर)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त (क) पर घोषणा में दी गई सूचना और फोटो का सत्यापन संस्थान के रिकॉर्डों से कर लिया गया है तथा सही पाया गया है।

स्थान:

प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक/डीन के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख :

अनुबंध V(प्ररूप-6 के लिए)

भारत निर्वाचन आयोग (अनुबंध V) प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी करने के लिए आवेदन	प्ररूप आई.डी. ईसीआई-एपिक-001

क	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र :	
	वि.स. निर्वाचन-क्षेत्र$ (सं. & नाम) :	
	जिला:	
ख	**निर्वाचक का विवरण** (निर्वाचक द्वारा भरे जाने के लिए)	

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ……………………. विधान सभा/ संसदीय$ निर्वाचन-क्षेत्र	महोदय/महोदया, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे एक डुप्लीकेट निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी किया जाए क्योंकि मेरे निर्वाचक विवरण में दोष-सुधार किए जाने के कारण मेरा मूल कार्ड गुम/नष्ट/विकृत हो गया है या पते में परिवर्तन होने के कारण मैं अपने नए पते के साथ एक नया कार्ड प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मैं डुप्लीकेट एपिक जारी करने के शुल्क के साथ आपको अपना एपिक वापस कर रहा/रही हूँ। मेरा नाम उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है। डुप्लीकेट एपिक जारी करने के मेरे दावे के समर्थन में विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. निर्वाचक का नाम:	2. **मूल कार्ड** की एपिक सं. **(यदि ज्ञात हो) :**	
3. पिता/माता/पति* का नाम :	4. लिंग (पु./म.):	5. जन्म तिथि, यदि ज्ञात नहीं हो तो आयु वर्षों में, 1 जनवरी, 200_____को..........

6. पता

(i) गृह/द्वार संख्या :

(ii) स्ट्रीट/मोहल्ला/सड़क/गली :

(iii) क्षेत्र/मोहल्ला :

(iv) शहर/ग्राम :	(v) पिन कोड						
(vi) पुलिस स्टेशन :	(vii) जिला:						

(viii) डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारण :

1. मैं एपिक वीआरसी/सीएससी से संगृहीत करूंगा/करूंगी।
2. मैं अपना एपिक डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ (स्व-पता-लिखित एवं डाक-टिकट लगे लिफाफे संलग्न हैं)।
3. मैं एपिक बीएलओ से संगृहीत करूंगा/करूंगी।

( )
आवेदक के हस्ताक्षर

(ix) उपयुक्त बॉक्स पर सही का निशान लगाएं (✓) : ☐ मैं एतद्द्वारा अपना विकृत/पुराना कार्ड वापस करता/करती हूँ। ☐ मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे जारी पूर्ववर्ती कार्ड बाद की तारीख में प्राप्त होता है तो मैं उसे वापस कर दूंगा/दूंगी।	दिनांक: स्थान:	

	आधिकारिक इस्तेमाल के लिए
ग	*एपिक जारी करने के लिए प्रमाणीकरण **(ईआरओ के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने के लिए)***

भाग सं. :	भाग में निर्वाचक की क्रम सं. :	नामोद्दिष्ट फोटोग्रॉफी लोकेशन (डीपीएल) या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसई) की आईडी संख्या:	# टोकन नं. या रसीद सं.
पंजी सं.	पंजी में क्रम सं.		
सत्यापनकर्ता : दिनांक: ___/___/200__	हस्ताक्षर		

घ	**निर्वाचक द्वारा आर-एपिक की अभिस्वीकृति**

(तारीख): को डुप्लीकेट एपिक प्राप्त किया								निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान
		-			-	200___		